संख्या: 196/XXVIII-1-2005-43/2005

प्रेषक,

स्नेहलता अग्रवाल,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-1 देहरादून: दिनांक: 10 मार्च, 2005

विषय : राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु पुनर्विनियोग के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-लेखा-1/2004-05/ दिनांक 2 फरवरी, 2005 के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 मे संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र के अनुसार आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु संलग्न प्रपत्र पुनर्विनियोग के अनुसार रू0 70.00 (रू0 सत्तर लाख मात्र) की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2- इस धनराशि का उपयोग राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों के सापेक्ष प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार नियोजन विभाग की सहमति के उपरान्त किया जाना सुनिश्चित होगा।

4- उक्त धनराशि को संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्रानुसार प्रस्ताव तत्काल प्रशासनिक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित् करें ताकि यथासमय स्वीकृत धनराशि का उपयोग समय से किया जा सके।

5- इस संबंध मे होने वाला व्यय इस वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक मे उल्लिखित धनराशि संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र के कॉलम-5 मे उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोग प्रपत्र कॉलम-1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं-1548/वित्त अनु0-2/2005 दिनांक 05 मार्च, 2005 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(स्नेहलता अग्रवाल)
अपर सचिव

संख्या:196 /XXVIII-1-2005-43/2005 टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-2 ।
4. गार्ड फाईल/एन.आई.सी.।

आज्ञा से,

(स्नेहलता अग्रवाल) 10/3/05
अपर सचिव